कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id:-ccfadmin-forest-uk@nic.in Ph.No. 0135-2741461, 2746934, Fax-2741630, 2741462

पत्रांक क-827 /1-13 देहरादूनः दिनांक 6, अक्टूबर, 2018.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :— **उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या–01 वर्ष 2018) के अनुपालन में वन विभाग के कार्मिकों की पदस्थापना के अनुरूप वर्गीकरण एवं सुगम एवं दुर्गम कार्यस्थलों का चिन्हांकन और उनका प्रकटीकरण।**

संदर्भ :— आपका पत्रांक–1561/1–13, दि0 01.05.2018.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र से नरेन्द्रनगर की माणिकनाथ रेंज (डांगचौरा) को सुगम क्षेत्र की श्रेणी में चिन्हित करते हुये तालिका–4/में अंकित सूची का प्रकटीकरण किया गया था।

उक्त के संबंध में श्री खुशाल सिंह रावत, वन क्षेत्राधिकारी ने अपने प्रत्यावेदन दि0 02.08.2018 से माणिकनाथ रेंज (डांगचौरा) को सुगम क्षेत्र के स्थान पर दुर्गम क्षेत्र के लिये चिन्हित किया जाने का निवेदन किया है। इस संबंध में उनके द्वारा जिलाधिकारी टिहरी की अध्यक्षता में 03 उप जिलाधिकारियों की सदस्यता वाली समिति के निर्णय कार्यवृत्त/सूची भी प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार उक्त स्थल, जो कि राजस्व पटवारी क्षेत्र है, की भौगोलिक स्थिति विषम होने का उल्लेख है, डांगचौरा को दुर्गम क्षेत्र के लिये चिन्हित किया गया है।

उक्त प्रकरण की समीक्षा करते हुये प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) महोदय द्वारा माणिकनाथ रेंज (डांगचौरा) को व्यवहारिक रूप से दुर्गम क्षेत्र की श्रेणी में लिये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उपरोक्त संदर्भित पत्र से निर्गत तालिका–4 में अंकित नरेन्द्रनगर वन प्रभाग की माणिकनाथ रेंज (डांगचौरा) को दुर्गम क्षेत्र की श्रेणी संबंधी संशोधित पत्र निर्गत करते हुये विभागीय वेबसाईट पर भी प्रदर्शित करने की कार्यवाही करना चाहें।

महत्वपूर्ण

भवदीय,

(बी0के0 गंगटे)
मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक
मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन
उत्तराखण्ड, देहरादून

पंजिका 2210
पत्रावली 1-13
दिनांक 06-10-2018

11.10.2018

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक :- 583/1-13 देहरादून दिनांक, 16 अक्टूबर, 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
अनुश्रवण मूल्यांकन एवं ऑडिट /
आई0टी0जी0सी0,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- **उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) के अनुपालन में वन विभाग के कार्मिकों की पदस्थापना के अनुरूप वर्गीकरण एवं सुगम एवं दुर्गम कार्यस्थलों का चिन्हांकन और उनका प्रकटीकरण।**

सन्दर्भ :- मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड का पत्रांक क-827/1-13, दिनांक 06.10.2018.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) महोदय द्वारा **नरेन्द्रनगर वन प्रभाग की माणिकनाथ रेंज (डांगचौरा)** को व्यवहारिक रूप से **दुर्गम क्षेत्र** की श्रेणी में लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः कृपया इस कार्यालय का पत्रांक 1561/1-13, दिनांक 01.05.2018 द्वारा निर्गत **तालिका-4** में अंकित **नरेन्द्रनगर वन प्रभाग की माणिकनाथ रेंज (डांगचौरा)** को सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र की श्रेणी में संशोधित करते हुये, विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

16.10.2018

(मोनिष मल्लिक)
प्रमुख वन संरक्षक,
मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक
प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 583 /1-13 दिनांकित।

प्रतिलिपि :- मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को उनके पत्रांक क-827/1-13, दिनांक 06.10.2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

16.10.2018

(मोनिष मल्लिक)
प्रमुख वन संरक्षक,
मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक
प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।